मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना مولانا مظهر الحق عربي وفارسي يو نيورسيتي ، پيئنه

Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna

Ref. F-1236/19, RE- 353/2024

Date 16/05/2024

वाहन नीलामी सूचना (संशोधित)

मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना में नीलामी के द्वारा तीन पुरानी गाडियों की बिकी मीठापुर पटना स्थित विश्वविद्यालय परिसर में की जाएगी जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:—

डाक हेत् र	यनतम	दर
------------	------	----

1.	BR-01Y-6600	Ambassdor	2006 Model	5000/-	(पांच हजार रूपये)
2.	BR-01AV-5337	Indigo	2010 Model	15000/-	(पन्द्रह हजार रूपये)
3.	BR-01AV-5336	Indica	2010 Model	5000/-	(पांच हजार रूपये)
	गाडियों की नीलामी दिन	नांक— 22 05 2024	को 03:00 बजे पूर्वाहन मे ज	हॉ है जैसे है	के आधार पर की जाएगी।

- वाहन की नीलामी हेतु डाक मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को दिनांक 15 05 2024 को 05:00 बजे तक Security
 Money के रूप में रूo 2000 / (दो हजार रूपये) प्रति गाड़ी तत्काल नगद राशि कुलसचिव कार्यालय में जमा
 करना होगा।
- 2. उच्चतम दो डाक वक्ताओं को छोडकर शेष को उनकी Security Money तत्काल वापस कर दी जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की पूरी राशि जमा कर देने के बाद द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता की Security Money वापस की जाएगी। अतिम बोली के बाद उच्चतम डाक वक्ता को डाक की पूर्ण राशि प्रतिभूति राशि सहित तुरंत जमा करना होगा।
- 3. उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की राशि निर्धारित अविध में जमा नहीं करने पर प्रतिभूति Security Money की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को वाहन क्रय का अवसर दिया जाएगा। यदि द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता भी निर्धारित अविध में डाक की पूरी राशि जमा करने में असफल रहते हैं, तो उनकी Security Money जप्त कर ली जाएगी तथा वाहन की नीलामी नये सिरे से की जा सकेगी।
- कुलसचिव को बिना बताये डाक को अस्वीकृत/स्थिगत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 5. स्वीकृत के पश्चात् उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के अन्दर डाक में बोली गयी सम्पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा। डाक की राशि पर GST अलग से देय होगा। GST की राशि केता स्वयं जमा कर उसकी प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- 6. नीलामी के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत वाहन विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा और तभी विश्वविद्यालय परिसर स्थित गैरेज से नीलाम वाहन को हटाया जा सकेगा।
- 7. कार्यालय अवधि में विश्वविद्यालय में वाहन को देखा जा सकता है।

माननीय कुलपति माहोदय के आदेश से।

ह०/– (कर्नल कामेश कुमार) कुलसचिव

япчію- F-1236/19, RE-353/2024

दिनांक- 16/05/2024

प्रतिलिपि:-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को नीलामी के लिए किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुवित कर इस विश्वविद्यालय को सूचित करने की कृपा की जाय।

कम्प्युटर प्रोग्रामर को विज्ञापन की प्रति सलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे विश्वविद्यालय के वेवसाईट पर तत्काल प्रकाशित किया जाय।

कुलसमिव 16/05/24